राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33 / ले टे / (एफ–1146) / 2019 / 213 दिनांक : 09/04/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामो के सम्मुख अंकित परीक्षा / प्रशिक्षण में स्वयपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति / अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग / संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	श्री किशनाराम कडवासरा, लै टे	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबुपुरा, जोधपुर	JNVU, Jodhpur	MPET, 2019 UGC-NET
2.	श्री प्रेम सिंह सोलंकी, प्रयो.सहा.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदडी (बाडमेर)	कोटा खुला विश्वविद्यालय	प्रथम वर्ष (विज्ञान वर्ग) स्वंयपाठी परीक्षा
3.	श्री हिमांशु धाकड, लै.टे	प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।	CBSE	NEET (2019) Entrance Test
4.	श्री मोनू कुमार, लै टे.	सवाई मानसिह चिकित्सालय, जयपुर	जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी जयपुर	बी.एस.सी प्रथम वर्ष परीक्षा

शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. शिक्षण संस्थान मे अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरण हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीं ।
5. जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगीं उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी कर्मचारी को किसी सस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है ।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी ।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा ।
10. प्रशासनिक कारणो से लोकहित / राज्य हित में स्वीकृति / अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है ।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जायेगा ।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13. इन्हे केवल परीक्षा / साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।
15. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग मे इनका लियन नही रहेगा।
16. चयन होने पर नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकार करा कर कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करना होगा।

नोटः–उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा / समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक :– ई–33/ले.टे./(एफ– 1146)/2019/213 दिनांक : 03/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबधित प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. सबधित प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. सबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर